



एम्स/राजकोट/प्रशा./2024-25/6298

दिनांक- 29/10/2024

परिपत्र सं. 05/2024

विषय: ईएचएस लाभार्थियों द्वारा केंद्रीय औषधि भंडार से दवाओं की खरीदी-

यह सूचित किया जाता है कि अब तक ईएचएस लाभार्थी अपनी निर्धारित दवाइयां एवं अन्य चिकित्सा सामग्री पीएमबीजेएके (प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र) या एम्स राजकोट में स्थित अमृत फार्मसी से खरीद रहे हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के अनुसार की जाती रही है।

फिर भी, तत्काल प्रभाव से, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

1. केंद्रीय औषधि भंडार से खरीदी:

अब से सभी ईएचएस लाभार्थियों को अपनी निर्धारित दवाएं और अन्य चिकित्सा सामग्री विशेष रूप से एम्स राजकोट के केंद्रीय औषधि भंडार (भूतल, आयुष ब्लॉक) से खरीदनी होंगी।

2. केंद्रीय औषधि भंडार पर अनुपलब्धता:

यदि कोई निर्धारित दवा या वस्तु केंद्रीय औषधि भंडार पर उपलब्ध नहीं है, तो पीएमबीजेएके या अमृत फार्मसी से आवश्यक दवाएं खरीदने से पहले केंद्रीय औषधि भंडार से अनुपलब्धता (एनए) प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

यह निर्देश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(डॉ. कुलदीप जी बी)

स्थानापत्र उप निदेशक (प्रशासन)
कार्यवाहक उप निदेशक (प्रशासन)
Offg Deputy Director (Admin.)
एम्स राजकोट - 360 001, गुजरात.
AIIMS Rajkot - 360 001, Gujarat.

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी केंद्रीय औषधि भंडार, एम्स राजकोट
2. सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी, एम्स - राजकोट
3. डीएमएस (ओपीडी/आईपीडी), एम्स - राजकोट
4. चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय, एम्स राजकोट
5. आईटी सेल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

नोट: किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।